



LIVESTOCK RESEARCH STATION: BEECHWAL
(RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES: BIKANER)

Dr. Sita Ram Gupta
OFFICER INCHARGE
Mob : 9413205638
Email: lrsbeechwal@gmail.com

Bijay Bhawan Palace
Veterinary College Campus
Bikaner 334 001
Rajasthan, India

No. F ()/LRS Beechwal/2022-23/435

Dated : 17.02.2023


दुग्ध विक्रय – निविदा सूचना (01/2023)

पशुधन अनुसंधान केन्द्र, बीछवाल, बीकानेर, राजस्थान पर धारपाकर गायों के दूध का विक्रय 01.04.2023 से 31.03.2024 के लिए किया जाना है अतः संबंधित इच्छुक ठेकेदारों/फर्मों से निविदा आमंत्रित की जाती है। जिसका विवरण निम्न लिखित है:

क्र.सं.	अनुबंध के कार्य का विवरण	निविदा प्रपत्र शुल्क	अनुमानित वार्षिक मूल्य (रूपये)	बोली प्रतिभूति राशि (रूपये)	निविदा प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तिथि	निविदा खोलने की तिथि
1	केन्द्र के बीछवाल स्थित फार्म से धारपाकर गाय का प्रातः एवं सांय 01.04.2023 से 31.03.2024 तक दुग्ध विक्रय करना।	रु. 500.00	रु. 3200000.00	रु. 64000.00	16.03.2023 (शाम 05.00 बजे तक)	17.03.2023 (सुबह 11.00 बजे)

उपरोक्त कार्य हेतु निर्धारित निविदा प्रपत्र 21.02.2023 से 16.03.2023 शाम 4.00 बजे कार्यालय समय में प्रमारी अधिकारी, कार्यालय पशुधन अनुसंधान केन्द्र, बीछवाल, वेटनरी कॉलेज परिसर, बीकानेर, राजस्थान” से प्राप्त कर अन्तिम तिथि एवं समय (16.03.2023 को शाम 05.00) तक बोली प्रतिभूति राशि नगद अथवा रेखांकित बैंक ड्राफ्ट राशि सहित जमा कराये जा सकते हैं। निविदा प्रपत्र, नियम एवं शर्तें विश्वविद्यालय की वेबसाईट <http://rajuvas.org/> एवं <https://sppp.rajasthan.gov.in/sppp/index.php> पर देखी जा सकती है। (UBN.VAU2223GL0800174)

संलग्न :- दुग्ध विक्रय निविदा प्रपत्र मय शर्तें


(सीता राम गुप्ता)
प्रमारी अधिकारी



LIVESTOCK RESEARCH STATION: BEECHWAL

(RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES: BIKANER)

Dr. Sita Ram Gupta
OFFICER INCHARGE
Mob : 9413205638
Email: lrsbeechwal@gmail.com

Bijay Bhawan Palace
Veterinary College Campus
Bikaner 334 001
Rajasthan, India

दूध विक्रय-निविदा प्रपत्र

1. निविदा प्रपत्र शुल्क — ₹. 600.00
2. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय — दिनांक 10.03.2023 को शाम 04.00 बजे तक
3. निविदा प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तिथि एवं समय — दिनांक 16.03.2022 को शाम 06.00 बजे तक
4. निविदा खोलने का समय — दिनांक 17.03.2023 को प्रातः 11.00 बजे
5. निविदा संदर्भ No.F()/LRS Beechwal/2022-23/ 435 दिनांक : 17.02.2023

कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित अवधि	बोली प्रतिभूति राशि (रुपये)	बोली प्रतिभूति राशि का विवरण
पशुधन अनुसंधान केन्द्र, बीछवाल फार्म से माय का प्रतिदिन प्रातः एवं सांय दूध विक्रय	1.04.2023 से 31.03.2024	₹. 64000/-	

6. मैंने निविदा में चर्चित सभी शर्तों ध्यान से पढ़ ली हैं और पूर्ण रूप से समझ ली हैं। मैं निविदा की सभी शर्तों से पूरी तरह से सहमत हूँ। उपरोक्त शर्तों के अनुसार मैं पशुधन अनुसंधान केन्द्र, बीछवाल से माय का दूध रु. (रुपये) प्रति लीटर की दर से भुगतान करके खरीदने को सहमत हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम और पता

आरपारकर माय के दूध विक्रय हेतु निविदा की शर्तें

1. निविदा प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक निविदादाता को गोहरबन्द निविदा प्रपत्र के साथ बोली प्रतिभूति राशि रुपये 64000/- प्रमारी अधिकारी, पशुधन अनुसंधान केन्द्र, बीछवाल के नाम नगद/रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के द्वारा जमा करानी होगी। बिना बोली प्रतिभूति राशि के निविदा प्रपत्र मान्य नहीं होगा। निविदा हेतु प्रस्तुत दरे 01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक मान्य रहेगी।
2. निविदा में निविदादाता की कोई शर्त मान्य नहीं होगी। न्यूनतम निविदा दर 40.00 रुपये प्रति लीटर रहेगी। किसी भी प्रकार के विवाद में कमेटी का अंतिम निर्णय सभी को मान्य होगा।
3. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि 160000/- रुपये है। निविदा पक्ष में स्वीकृत होने पर सफल निविदादाता को कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि 1,60,000/- रुपये जमा करानी होगी। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि 160000/- रुपये ठेका अवधि के दौरान जमा रहेगी। ठेके को सतोषजनक पूरा करने पर ठेकेदार को कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी, यदि ठेके के दौरान ठेकेदार द्वारा केन्द्र पर किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचाई गई तो कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी तथा क्षति का भुगतान कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के अलावा ठेकेदार को अलग से करना होगा।
4. सफल निविदादाता को स्वीकृत आदेश जारी करने के उपरान्त रुपये 500/- (पाँच सौ रुपये) के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रमारी अधिकारी, पशुधन अनुसंधान केन्द्र, बीछवाल के पक्ष में अनुबन्ध गरकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि एवं अनुबन्ध पत्र जमा कराने पर ही दूध दिया जाना प्रारम्भ किया जाएगा।
5. स्वीकृत आदेश प्रमारी अधिकारी, पशुधन अनुसंधान केन्द्र, बीछवाल के द्वारा जारी होने के बाद स्वीकृत दर पर ठेकेदार द्वारा प्रतिदिन उठाये गये दूध का भुगतान कार्यालय में निर्धारित समय पर नगद राशि द्वारा करना अनिवार्य होगा।
6. प्रथम उच्च दर पार्टी के असफल होने की स्थिति में उसकी जमानत राशि जब्त करके ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
7. दूसरे नम्बर के उच्चतम दर वाले फर्म की जमानत राशि 15 दिन के लिये कार्यालय में जमा रहेगी।
8. अधिकतम दर को स्वीकार करना, अपरिहार्य कारणों से ठेके की अवधि घटाना तथा बिना कारण बताये निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार प्रमारी अधिकारी, पशुधन अनुसंधान केन्द्र, बीछवाल को रहेगा। जिसके लिए सफल निविदादाता को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी और निविदादाता का कोई एतराज मान्य नहीं होगा।
9. प्रातः एवं सांय दूध दुहने का समय नियत है। ठेकेदार दूध दुहने के समय स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो सकेगा। वह दूध दुहने से लेकर लौट तक सम्पूर्ण प्रक्रिया में उपस्थित रह सकेगा ताकि दूध में मिलावट/गुणवत्ता सम्बन्धित मिथ्या आरोप की संभावना नहीं रहे। दूध जैसा उत्पादित होगा, उसी मानक का लेना होगा। दूध उठाने से पूर्व दूध की गुणवत्ता की जाँच की जिम्मेदारी आवेदक की होगी। दूध की कम्पोजिशन गुणवत्ता के संबंध में फार्म कार्यालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
10. दूध का उत्पादन प्रातः, सांय, दैनिक, मासिक या वर्ष भर समान नहीं रहता। जितना उत्पादन होगा उसमें से केन्द्र पर दूध उत्पाद बनाने एवं अनुसंधान कार्य को देने के बाद शेष दूध ही सफल निविदादाता को दिया जायेगा, इस पर निविदादाता को किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी। प्रतिदिन (प्रातः एवं सांय) विक्रय किये जाने वाले दूध की मात्रा में असमानता रहती है।
11. दूध दुहने के पश्चात् ठेकेदार को समय पर दूध ले जाना होगा। यदि ठेकेदार द्वारा विलम्ब से दूध ले जाया जाता है तो दूध खराब होने के कारण इसकी जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी इसके लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि निर्धारित समय पर सफल निविदादाता द्वारा दूध नहीं उठाया जाता है तो विश्वविद्यालय/विभाग दूध निरस्तारण के लिए स्वतंत्र होगा। ऐसी परिस्थिति में यदि निर्धारित मूल्य से कम आय प्राप्त होती है तो अन्तर की राशि आवेदक (निविदादाता) को वहन करनी होगी और उसे अन्तर राशि अविलम्ब जमा करानी होगी।
12. ठेकेदार डेयरी परिसर में किसी भी बाहरी व्यक्ति को दूध विक्रय नहीं करेगा।
13. खाद पदार्थ विक्री संकेती अधिनियम के तहत लाइसेंस लेना एवं उससे सम्बन्धित समस्त कार्यवाही ठेकेदार को अपने स्तर पर करनी होगी। अनुबन्ध की अवधि पशुधन अनुसंधान केन्द्र, बीछवाल के हित में घटाई या बढ़ाई जा सकती है जिसकी पालना करने के लिये ठेकेदार बाध्य होगा।
14. दरे सही (बाजार भाव के अनुरूप) प्राप्त नहीं होने पर अमर कमेटी चाहे तो निविदादाता को प्रतिगोमी बातचीत द्वारा दरे निर्धारित करवा सकेगी। किसी भी प्रकार विवाद में अटोहस्ताक्षरकता एवं कमेटी का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
15. किसी भी वाद का दोन बीकानेर होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम और पता